

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
संख्या 05/2025- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी, 2025

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1), (3) और (4) तथा धारा 20 के खंड (iii), (iv) और (xxv), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि 683 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 5 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -

(क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ (xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए “विशिष्ट परिसर” से अभिप्रेत है,-

(क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या

(ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या

(ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;";

(ii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“अनुबंध VII

पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑफ्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) यह घोषणा करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)..... के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध IX** में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध VIII

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑफ्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxvi) देखें)

क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध IX

ऑफ्ट-आउट घोषणा

(खंड 4 (xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम (व्यक्ति का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि(पता)..... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)..... के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुबंध VII में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।

2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।”

[फा.सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

(मो. आदिल अशरफ)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर) को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024-एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 619 (अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।